

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District**
(जिला): ACB DISTRICT **P.S.**
(थाना): C.P.S Jaipur **Year**
(वर्ष): 2026
2. **FIR No.**
(प्र.सू.रि.सं): 0235 **Date and Time of FIR**
(एफआईआर की तिथि/समय): 20/08/2026 17:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence** (अपराध की घटना):
1. **Day**(दिन): दरमियानी दिन **Date From**
(दिनांक से): 17/08/2026 **Date To**
(दिनांक तक): 18/08/2026
- Time Period**
(समय अवधि): पहर **Time From**
(समय से): 09:30 बजे **Time To**
(समय तक): 13:55 बजे
- (b) **Information received at P.S.**
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): **Date**
(दिनांक): 20/08/2026 **Time**
(समय): 17:00 बजे
- (c) **General Diary Reference**
(रोजनामचा संदर्भ) : **Entry No.**
(प्रविष्टि सं.): 002 **Date & Time**
(दिनांक एवं समय) 20/08/2026 17:33:19 बजे
4. **Type of Information** (सूचना का प्रकार): लिखित
5. **Place of Occurrence** (घटनास्थल):
1. (a) **Direction and distance from P.S.**
(थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 18 किमी **Beat No.**
(बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) **Address**(पता): RASIDPURA TOL NAKA KE PASS,, SIKAR
- (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S**
(थाना का नाम): **District(State)**
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DINESH MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): HARLAL MEENA

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 2000

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOVARDHANPURA, KHATUSHYAMJI SADAR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOVARDHANPURA, KHATUSHYAMJI SADAR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	YASWANT SINGH		पिता:RAM AASHISH SINGH	1. 3613,VIGYAN KHAND,POST GOMTI NAGAR,POLICE THANA B B D,लखनऊ,उत्तर प्रदेश,INDIA
2	SOHANLAL		पिता:DHARMRAJ	1. BHAGWANPUR KODAR, पंचपेड़वा,बलरामपुर,उत्तर प्रदेश,INDIA
3	PAWAN KUMAR TRIPATHI		पिता:BRAJKISHOR TRIPATHI	1. ANGARASI,तालगांव,सीतापुर,उत्तर प्रदेश,INDIA
4	GORAV CHARAG		पिता:SURENDRA SINGH CHARAG	1. GUDERA,मथुरा,उत्तर प्रदेश,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	90,000 रुपये भारतीय मुद्रा के तथा 1,90,000 डमी नोट कुल 2,80,000	2,80,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

2,80,000.00

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

दिनांक 17.08.2026 को परिवादी श्री दिनेश मीणा पुत्र श्री हरलाल मीणा, जाति मीणा, उम्र 26 वर्ष, निवासी निवासी गांव गोर्वधनपुरा, पुलिस थाना सदर खाटू, जिला ,सीकर ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् एएसपी विजय कुमार के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र मय साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन अयोध्या यूपी का श्री विकास मीणा के नाम नोटिस पेश किया। प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि मेरे भाई विकास मीणा पुत्र श्री हरलाल मीणा निवासी गोर्वधनपुरा, सीकर के खिलाफ साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन अयोध्या उत्तरप्रदेश की पुलिस टीम के निरीक्षक द्वारा मुकदमा नम्बर 22/2024 में नोटिस जारी कर मामले को रफा दफा करने की एवज में मुझसे 4 लाख रुपये मांग रहे हैं। मैं रिश्वत के नहीं देकर गिरफ्तार करवाना चाहता हूं, कार्यवाही करने की कृपा करे, साईबर टीम के निरीक्षक द्वारा मोबाईल नम्बर से कॉल कर सम्पर्क कर रहे हैं, और अपने आप को निरीक्षक बता रहा है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री दिनेश मीणा ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताते हुये यूपी पुलिस के निरीक्षक से पहले की कोई रंजिश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन-देन का पाया जाने एवं इसी दौरान परिवादी श्री दिनेश मीणा ने समय 9.51 एएम पर अपने मोबाईल नम्बर से निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो निरीक्षक ने अखेपुरा टोल के पास आने की कही, जिस पर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मंगवाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर में मेमोरी कार्ड डालकर उसे बन्द करने व चालू करने की विधि परिवादी श्री दिनेश मीणा को समझाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही में परिवादी के साथ जाने वाले श्री महेश कुमार एचसी नं. 48 से परिवादी श्री दिनेश मीणा का आपस में परिचय करवाकर समझाईस की गई। परिवादी के चाहेनुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के श्री महेश कुमार एचसी को सुपुर्द कर परिवादी एवं श्री महेश कुमार एचसी को मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना अखेपुरा टोल सीकर किया गया। मन् एएसपी के दिगर राजकार्य से समय 3.00 पीएम पर उपस्थित कार्यालय होने पर श्री महेश कुमार एचसी ने मन् एएसपी को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि "कार्यालय से रवाना होकर मैं व परिवादी अखेपुरा टोल के पास पहुँचे जहाँ समय 11.15 पर परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर से निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो निरीक्षक होटल श्रवण पैलेस पर आने की कही, जिस पर मैंने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया, परिवादी श्रवण पैलेस होटल की तरफ चला गया मैं होटल के बाहर मुक़िम हुआ, परिवादी के वापिस आने पर मैंने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड परिवादी से प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया, उसके बाद मैं रवाना होकर समय 12.35 पर कार्यालय में उपस्थित हुआ।" श्री महेश कुमार एचसी ने यूपी पुलिस के चार कर्मचारियों का होटल पर आने जिनमें से दो कर्मचारी के साथ परिवादी की वार्ता होना बताया । डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् एएसपी द्वारा सुना गया तो एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा परिवादी से 2,80,000 रुपये बतौर रिश्वत लेने की पुष्टि होती है। परिवादी ने श्री महेश कुमार एचसी को दिनांक 18.08.2026 को अग्रिम कार्यवाही करवाने की कही। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। दिनांक 18.08.2026 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर कार्यालय जिला आबकारी विभाग सीकर से दो सरकारी गवाह इस कार्यालय में भिजवाने हेतु पाबन्द किया गया तथा भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर देहात एवं भ्र.नि.ब्यूरो झुंझुनूं को इमदाद हेतु दिनांक 18.08.2026 को ब्यूरो स्टाफ इस कार्यालय में भिजवाने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.08.2026 को परिवादी श्री दिनेश मीणा ने जरिये दूरभाष मन् एएसपी को आरोपी को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाली राशि 2,80,000

में से 90,000 रूपयों की ही व्यवस्था होने तथा शेष डमी नोट देने की कही तथा गोपनीयता के लिहाज से पलसाना आकर अग्रिम कार्यवाही करने की कही, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी। तत्पश्चात पूर्व से पाबन्दशुदा भ्र.नि.ब्यूरो से श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री कुमार सानू कानि., श्री विक्रम सिंह कानि., चालक श्री जगदेव सिंह के जरिये सरकारी वाहन उपस्थित कार्यालय आने पर उन्हें गोकुलपुरा चौराहे पर मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई तथा श्री सुभाष मील पुलिस निरीक्षक, श्री अशोक कुमार एचसी, श्री मनोज कुमार एचसी, श्री श्रवण कुमार कानि., श्रीमती स्वाती महिला कानि., चालक श्री सुरेशचन्द्र एचसी के जरिये सरकारी वाहन जयपुर बाईपास रोड़ पर मुकिम रहने की हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान श्री गजेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्री अनिल कुल्हरी कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सीकर के उपस्थित कार्यालय आने पर परिवादी के चाहेनुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई प्राईवेट वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवाई जाकर मन् एएसपी विजय कुमार मय स्वतंत्र गवाहान श्री गजेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्री अनिल कुल्हरी कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो स्टाफ के श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी, श्री शीशराम कानि., श्री महेश कुमार एचसी, श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक के जरिये प्राईवेट वाहन के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटॉप मय प्रिन्टर व रिश्त मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड, डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड साथ लेकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर अखेपुरा टोल नाका पर पहुँचा, जहाँ श्री देवेन्द्र प्रसाद पुलिस निरीक्षक मय श्री सतेन्द्र एएसआई, श्री रिजवान अहमद एचसी, श्री ओमप्रकाश एचसी, श्री बन्नाराम कानि., श्री देवेन्द्र कानि., चालक श्री सुभाष के जरिये सरकारी वाहन के उपस्थित मिले जिन्हें साथ लेकर मन् एएसपी मय हमराहीयान पार्टी के बधाला की ढाणी के पास जयपुर-सीकर रोड़ स्थित कृष्णा होटल पहुँचा जहाँ परिवादी श्री दिनेश मीणा उपस्थित मिला, जहाँ परिवादी के परिचित कृष्णा होटल के अन्दर परिवादी ने मजिद दरियाफ्त पर रिश्त मांग सत्यापन दिनांक 17.08.2026 को श्री महेश कुमार एचसी को बताये गये कथनों की ताईद की। परिवादी श्री दिनेश मीणा एवं स्वतंत्र गवाहान श्री गजेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्री अनिल कुल्हरी कनिष्ठ सहायक का आपस में परिचय करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री दिनेश मीणा ने हिदायत देने पर आरोपी निरीक्षक/विवेचक थाना साईबर क्राईम, जनपद अयोध्या, उत्तरप्रदेश पुलिस को रिश्त के रूप में दिये जाने वाले नोट पाँच-पाँच सौ रूपये के 180 नोट कुल 90,000 रूपये भारतीय मुद्रा के तथा भारतीय मनोरंजन बैंक FULL OF FUN लिखे पाँच-पाँच सौ रूपयों के कुल 380 डमी नोट कुल 1,90,000 लाख रूपयों के नोट पेश किये, जिनमें भारतीय मुद्रा के नोटों का नम्बर निम्नानुसार है -

1. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 383680
2. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 383681
3. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 383682
4. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 383683
5. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 383684
6. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 383685
7. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382686
8. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382687
9. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382688
10. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382689
11. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382690
12. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382691
13. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382692
14. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382693
15. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382694
16. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382695
17. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382696
18. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382697
19. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382698
20. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382699
21. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382700
22. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382701
23. एक नोट पाँच सौ रूपये का नम्बरी नम्बर 6UA 382702

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

168. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6UA 383673
169. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6UA 383672
170. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6PB 482009
171. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6UA 337233
172. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6UA 337234
173. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6UA 337235
174. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6UA 337236
175. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6UA 337237
176. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6UA 383671
177. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2KU 793074
178. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 5DF 574221
179. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1KA 077340
180. एक नोट पाँच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2FN 368606

उपरोक्त भारतीय मनोरंजन बैंक FULL OF FUN लिखे पाँच-पाँच सौ रूपयों के कुल 380 डमी नोट कुल 1,90,000 लाख रुपये एवं भारतीय मुद्रा के 180 नोट कुल 90,000 रूपयों की गड्डियों को एक अखबार पर बीछाकर श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री गजेन्द्र सिंह से परिवादी श्री दिनेश मीणा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे भारतीय मनोरंजन बैंक FULL OF FUN लिखे पाँच-पाँच सौ रूपयों के कुल 380 डमी नोट कुल 1,90,000 लाख रुपये एवं भारतीय मुद्रा के 180 नोट कुल 90,000 रूपयों की गड्डियों को रबड़ में बांधकर राजस्थान पत्रिका दिनांक

11.08.2026 के अखबार में लपेटकर उस अखबार पर भी फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर बंडल को एक प्लास्टिक की थैली जिस पर भगवती प्लास्टिक लिखा हुआ है, में डालकर परिवादी श्री दिनेश मीणा को श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा सम्भलाया जाकर परिवादी श्री दिनेश मीणा को मुनासिब हिदायत दी गई। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नही बदला इस घोल में श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक जिसने नोटों एवं नोटों के बंडल पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एवं अखबार जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट कराया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। कार्यालय की डिजीटल वॉईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री महेश कुमार एचसी को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर एसीबी चौकी सीकर के लिये रवाना किया गया। इसी दौरान आरोपी निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री दिनेश मीणा के मोबाईल नम्बर पर समय 10.40 एएम पर

साधारण कॉल कर सीकर पहुंचने के लिये कही। उक्त वार्ता को श्री महेश कुमार एचसी द्वारा डीवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी के चाहेनुसार परिवादी श्री दिनेश मीणा के साथ श्री महेश कुमार एचसी को परिवादी की स्कार्पियों गाडी से रवाना कर मन् एएसपी मय हमराहीयान के अलग-अलग दोनों पार्टियों के वाहनों से रवाना होकर बीकानेर बाईपास रोड़ सालासर स्टेण्ड पर वाहनों को साईड में रूकवाकर आरोपी का परिवादी के पास कॉल आने के इन्तजार में मुकिम हुआ जहाँ तलब शुदा श्री सुभाष मील पुलिस निरीक्षक, श्री अशोक कुमार एचसी, श्री मनोज कुमार एचसी, श्री श्रवण कुमार कानि., श्रीमती स्वाती महिला कानि., चालक श्री सुरेशचन्द एचसी के जरिये सरकारी वाहन के उपस्थित आये। तत्पश्चात समय 12.09 पीएम पर आरोपी निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर ने परिवादी श्री दिनेश मीणा के मोबाईल नम्बर पर साधारण कॉल कर अपनी लोकेशन भिजवाने की कही, जिस पर मन् एएसपी मय हमराहीयान तीनों पार्टियों के सालासर स्टेण्ड से रवाना होकर समय 12.15 पीएम पर भटाढर तिराहे स्थित होटल हाईवे हवेली के आगे पहुंचकर वाहनों को होटल के आगे अलग-अलग खड़ा किया गया, जहाँ परिवादी ने अपने भाई श्री विकास मीणा एवं अपने परिचित श्रीराम मीणा को मोटरसाईल से ईमदाद हेतु बुलाया। परिवादी श्री दिनेश मीणा को आरोपी को अपनी लोकेशन भिजवाने के निर्देश देकर परिवादी के साथ श्री महेश कुमार एचसी को होटल परिसर की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 01.33 पीएम पर होटल हाईवे हवेली के पास एक गाडी क्रेटा नम्बर 26बीएच 5743के आकर रूकी, इतने में ही परिवादी अपनी गाडी से उतरकर उक्त क्रेटा गाडी के पास जाकर उसके अन्दर बैठता दिखाई दिया।

कुछ ही देर बाद परिवादी आरोपी के वाहन से उतरकर नीचे आ गया और परिवादी अपने परिचित श्रीराम के साथ मोटरसाईकल से टोल की तरफ रवाना हो गया इतने में क्रेटा गाडी भी टोल की तरफ रवाना हो गई। मन् एएसपी मय हमराहीयान पार्टी के अपने-अपने वाहनों से आरोपी की गाडी का पीछा करते हुये टोल के आगे पहुंचा जहाँ आरोपीगण ने अपनी गाडी को रोककर परिवादी दिनेश मीणा को अपनी गाडी के पास बुलाकर गाडी में बैठा लिया तथा कुछ ही देर बाद परिवादी को आरोपीगण ने अपनी गाडी से नीचे उतारकर रवाना हो गये, जिस पर परिवादी ने मन् एएसपी को अपने सिर पर हाथ फेरकर तय ईशारा किया जिस पर मन् एएसपी ने परिवादी को साथ चलने का ईशारा कर मन् एएसपी मय हमराहीयान पार्टी के वाहनों से आरोपीगण की गाडी का पीछा करते हुये टोल नाके से करीब तीन किलोमीटर दूर नवजीवन शिक्षण संस्थान के सामने आरोपीगण की गाडी के आगे गाडी लगाकर तथा आरोपीगण की गाडी के पीछे श्री देवेन्द्र प्रसाद पुलिस निरीक्षक मय पार्टी के क्रेटा को समय 1.55 पीएम पर रूकवाने का प्रयास किया तो आरोपीगण ने अपनी गाडी को नहीं रोककर गाडी को आगे-पीछे लेकर भागने का प्रयास किया जिससे ब्यूरो के वाहनों क्षतिग्रस्त हुये तथा आरोपीगण की क्रेटा गाडी के पीछे का शीशा टूट गया। मन् एएसपी द्वारा परिवादी से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर सुरक्षित रखा गया। मन् एएसपी मय हमराहीयान के अपनी-अपनी गाडियों से नीचे उतरकर आरोपीगण को गाडी में पकड़ना चाहा तो गाडी में पीछे की सीट पर बैठे एक व्यक्ति ने प्लास्टिक की थैली में रखी रिश्वती राशि के बंडल को साईड में फेंक दिया, जिसको गवाह श्री गजेन्द्र सिंह से उठवाकर सुरक्षित रखवाया गया। मौके पर भीड़-भाड़ होने की स्थिति में आरोपीगण को उसके वाहन से नीचे उतरवाकर नाम पता पूछा तो चारों व्यक्तियों ने अपना नाम श्री यसवन्त सिंह एसआई, श्री पवन त्रिपाठी कानि., श्री सोहनलाल कानि., श्री गौरव चारग कानि. पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या होना बताया। उपरोक्त चारों आरोपीगण में से दो आरोपीगण श्री यसवन्त सिंह एसआई, श्री पवन त्रिपाठी कानि. को श्री देवेन्द्र प्रसाद पुलिस निरीक्षक के वाहन में तथा दो आरोपीगण श्री सोहनलाल कानि., श्री गौरव चारग कानि. को श्री सुभाष मील पुलिस निरीक्षक के साथ उनके वाहन में बैठाया जाकर आरोपीगण की गाडी क्रेटा को हमरा लेकर मन् एएसपी मय हमराहीयान के घटनास्थल से रवाना होकर समय 2.40 पीएम पर एसीबी चौकी सीकर पहुंचा। तत्पश्चात मन् एएसपी ने चारों आरोपीगण को बारी-बारी से अपना नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम यसवंत सिंह पुत्र श्री राम आशीष सिंह, जाति क्षेत्रिय, उम्र-28 वर्ष, निवासी गांव विज्ञान खण्ड, गोमती नगर, पुलिस थाना बीबीडी, जिला लखनऊ, उत्तरप्रदेश हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या, उत्तरप्रदेश, दूसरे ने अपना नाम सोहनलाल पुत्र श्री धर्मराम, जाति थारू, उम्र-35 वर्ष, निवासी गांव भगवानपुर, पुलिस थाना पचपेड़वा, जिला बलरामपुर उत्तरप्रदेश हाल कानि. पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या, उत्तरप्रदेश, तीसरे ने अपना नाम पवन कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री बृजकिशोर त्रिपाठी, जाति ब्राह्मण, उम्र-32 वर्ष, निवासी अंगरासी, पुलिस थाना तालगांव जिला सीतापुर उत्तरप्रदेश, हाल कानि. पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या, उत्तरप्रदेश, चौथे ने अपना नाम गोरव चारग पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह चारग, जाति जाट, उम्र-29 वर्ष, निवासी गांव गुडैरा, पुलिस थाना राया जिला मथुरा उत्तरप्रदेश हाल कानि. पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या, उत्तरप्रदेश होना बताया। मन् एएसपी द्वारा उपरोक्त चारों आरोपीगण से परिवादी से 2,80,000 रुपये लेने बाबत पूछा तो चारों व्यक्तियों ने अपने आप को निर्दोष बताते हुये जवाब न्यायालय में देना बताया। मौके पर परिवादी ने बताया कि "इन्होंने दिनांक 17.08.2026 को मेरे से मेरे भाई के विरुद्ध दर्ज मामले को निपटाने के लिये मेरे से 2,80,000 रूपयों की मांग की, आज मैंने इनके कहने पर होटल हाईवे हवेली पहुंचा तो उन चारों ने अपनी गाडी से आकर मेरा व श्रीराम का मोबाईल फोन लेकर हमारे को रसीदपुरा टोल नाका के आगे मिलने की कही जिस पर हम दोनो मोटरसाईकल से रवाना होकर टोल नाका के आगे पहुंचे जहाँ इन्होंने मुझे गाडी में बैठा लिया तब मैंने गाडी में पीछे की सीट पर क्रिम कलर की शर्ट पहने बैठे व्यक्ति को रिश्वती राशि दे दी, रिश्वती राशि लेकर हमे हमारा मोबाईल देकर ये लोग रवाना हो गये, उसके बाद हम दोनों आपको ईशारा कर आपके पीछे-पीछे रवाना होकर मौके पर आ गये।" तत्पश्चात श्री मनोज कुमार एचसी के दोनो हाथो एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासो में साफ पानी भरवाकर थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में क्रिम कलर की शर्ट पहने हुये आरोपी सोहनलाल कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला सा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी सोहनलाल कानि. के बायें हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला सा हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1 एवं आर-2 तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल-1 एवं एल-2 से सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। प्लास्टिक के दोनों डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री देवेन्द्र प्रसाद पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर देहात एवं श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई भ्र.नि.ब्यूरो झुंझुनूं को मय हमराहीयान के उनके चाहेनुसार जाय तैनाती रवाना किया गया। तत्पश्चात गवाह श्री गजेन्द्र सिंह के पास रखी रिश्वती राशि को गिनवाया गया तो कुल 90,000 रुपये भारतीय मुद्रा के तथा 1,90,000 रुपये डमी नोट पाये गये, इन नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। बरामद शुदा

नोटों के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा उपरोक्त भारतीय मुद्रा के नोट कुल 90,000 रूपयों के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सीलड किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। भारतीय मनोरंजन बैंक FULL OF FUN लिखे पाँच-पाँच सौ रूपयों के कुल 380 डमी नोट कुल 1,90,000 रूपयों के नोटों को एक सफेद कपड़े की थैली में सीलड कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपीगण की क्रेटा गाड़ी की स्वतंत्र गवाहान से तलाशी लीवाई गई तो गाड़ी की डिग्गी में चार बैग पाये गये एक सोल्डर बैग में पहनने के कपड़ों के अलावा 18,500 रूपये पाये गये। उक्त बैग श्री यसवंत एसआई ने स्वयं का होना बताया। उक्त बैग में रखे रूपयों के बारे में पूछने पर श्री यसवंत एसआई ने स्वयं के खर्चे के अपने घर से लाना बताया। दूसरे बैग में पहनने के कपड़े पाये गये। उक्त बैग श्री सोहनलाल कानि. ने स्वयं का होना बताया। तीसरे बैग में लेपटॉप व पहनने के कपड़े व 1,00,000 रूपये नगद पाये गये। उक्त बैग श्री पवन त्रिपाठी कानि. ने स्वयं को होना बताया। बैग में पाये गये एक लाख रूपयों बाबत पूछने पर श्री पवन त्रिपाठी कानि. ने अपनी पत्नी व भाई से रूपये लेकर आना बताया। चौथे बैग में पहनने के कपड़े पाये गये जिनके बारे में पूछने पर उक्त बैग व कपड़े श्री गौरव चारग कानि. ने स्वयं के होना बताया। क्रेटा गाड़ी के गेयर बॉक्स के पास बनी टूल में 61,800 रूपये पाये गये जिनके बारे में पूछने पर चारों आरोपीगण ने सामुहिक रूप से स्वयं के खर्चे के होना बताया। उक्त 18,500, 1,00,000, 61800 कुल 1,80,300 नगद रूपयों को संदिग्ध मानते हुये कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपीगण एसआई व कानिगण को परिवादी के भाई के विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 22/2024 के बारे में पूछा तो श्री यसवंत एसआई ने उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री मौहम्मद अरसद पुलिस निरीक्षक के द्वारा किया जाना बताते हुये उक्त प्रकरण में आरोपी विकास मीणा के नाम नोटिस दिया जाना बताया तथा उक्त प्रकरण की पत्रावली स्वयं के पास नहीं होना बताया। आरोपीगण के सोल्डर बैग एवं ट्रौली बैग एवं गाड़ी में रखी दिगर प्रकरणों से संबंधित पत्रावलियों के दो कपड़े के पैड को सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित रखवाया गया तथा गाड़ी क्रेटा कार को भी सुरक्षा के लिहाज से चौकी परिसर में खड़ा करवाया गया। आरोपीगण 1-श्री यसवंत सिंह उप पुलिस निरीक्षक, 2-श्री सोहनलाल, 3-श्री पवन कुमार त्रिपाठी, 4-श्री गौरव चारग कानिगण, पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या, उत्तरप्रदेश को अलग-अलग जरिये फर्द गिरफ्तारी की सूचना से अवगत कराकर अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान धुलाई हाथ एवं आरोपीगण की क्रेटा गाड़ी की तलाशी की विडीयोग्राफी श्रीमती स्वाती महिला कानि. से सरकारी मोबाईल फोन में geonix 64 GB मेमोरी कार्ड डलवाकर करवाई गयी थी। उक्त मेमोरी कार्ड में की गई विडीयोग्राफी की रिकार्डिंग से श्रीमती स्वाती महिला कानि. के द्वारा लेपटॉप के माध्यम से दूसरा मेमोरी कार्ड geonix 64 GB में विडीयोग्राफी को डाउनलोड किया जाकर पहले वाले मूल मेमोरी कार्ड को उसी की पैकिंग में डालकर एक कपड़े की थैली में सीलड मोहर कर मार्क "ए" अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं दूसरे मेमोरी कार्ड को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री दिनेश मीणा द्वारा दौराने रिश्तत मांग सत्यापन दिनांक 17.08.2026 को अखेपुरा टोल नाका के पास श्रवण पैलेस होटल पर परिवादी एवं आरोपी यूपी पुलिस टीम के कर्मचारी से आमने सामने हुई वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड sandisk 64 GB में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी दिनेश मीणा एवं स्वतंत्र गवाहान श्री गजेन्द्र सिंह एवं अनिल कुल्हरी के समक्ष श्री श्रवण कुमार कानि. से लैपटॉप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता का फर्द रूपान्तरण व हिन्दी रूपान्तरण किया गया। उक्त रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री दिनेश मीणा ने स्वयं की व यूपी पुलिस टीम के कर्मचारी की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात तीन नये खाली मेमोरी कार्ड geonix 64 GB लेकर उन्हें खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड उक्त वार्ता को तीनों मेमोरी कार्डों में कॉपी की गई। रिश्तत मांग सत्यापन वार्ता में प्रयोग किये गये उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड sandisk 64 GB एवं नये तैयार किये गये एक मेमोरी कार्ड geonix 64 GB की श्री श्रवण कुमार कानि. से हैश वेल्यु निकलवाई जाकर तीन मेमोरी कार्ड में से हैश वेल्यु निकाले गये एक मेमोरी कार्ड geonix 64 GB पर मार्क "बी" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उसे उसी की पैकिंग में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड sandisk 64 GB को उसी की पैकिंग में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी-1" अंकित किया गया। शेष पांच मेमोरी कार्डों को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री यसवन्त सिंह एसआई, श्री पवन त्रिपाठी कानि., श्री सोहनलाल कानि., श्री गौरव चारग कानि., पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या उत्तरप्रदेश का बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उद्योगनगर सीकर में जमा करवाने हेतु श्री सुभाष मील पुलिस निरीक्षक मय श्री मनोज कुमार एचसी, श्री महेश कुमार एचसी, श्री श्रवण कुमार कानि., श्री गंगाधर कानि., श्री सुरेशचन्द्र चालक के जरिये सरकारी वाहन रवाना किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री दिनेश मीणा द्वारा दौराने रिश्तत लेनदेन दिनांक 18.08.2026 को आरोपी यूपी पुलिस टीम से मोबाईल फोन एवं आमने सामने हुई वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड geonix 64 GB में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को परिवादी दिनेश मीणा एवं स्वतंत्र गवाहान श्री गजेन्द्र सिंह एवं अनिल कुल्हरी के समक्ष श्री श्रवण कुमार कानि. से लैपटॉप में जुड़वाकर रिकार्डिंग वार्ता का फर्द रूपान्तरण व हिन्दी रूपान्तरण किया गया। उक्त रिकार्ड वार्ता

में परिवादी श्री दिनेश मीणा ने स्वयं की व यूपी पुलिस टीम के कर्मचारी की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात तीन नये खाली मेमोरी कार्ड geonix 64 GB लेकर उन्हें खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड उक्त वार्ता को तीनों मेमोरी कार्डों में कॉपी की गई। रिश्वत लेनदेन वार्ता में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड geonix 64 GB एवं नये तैयार किये गये एक मेमोरी कार्ड geonix 64 GB की श्री श्रवण कुमार कानि. से हैश वेल्यु निकलवाई जाकर तीन मेमोरी कार्ड में से हैश वेल्यु निकाले गये एक मेमोरी कार्ड geonix 64 GB पर मार्क "सी" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उसे उसी की पैकिंग में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड geonix 64 GB को उसी की पैकिंग में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी-1" अंकित किया गया। शेष पांच मेमोरी कार्डों को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। की गई कार्यवाही से आरोपीगण श्री यसवंत सिंह उप पुलिस निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम अयोध्या उत्तरप्रदेश, श्री सोहनलाल कानि. नं. 162170782, श्री पवन कुमार त्रिपाठी कानि. नं. 152253646, श्री गौरव चारग कानि. नं. 192250681, पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या उत्तरप्रदेश द्वारा आपस में मिलीभगत कर प्रकरण में परिवादी दिनेश के भाई विकास के खिलाफ पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या उत्तरप्रदेश में दर्ज मुकदमा संख्या 22/2024 में परिवादी के भाई विकास का नाम हटाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.08.2026 को परिवादी से आरोपी श्री गौरव चारग कानि. द्वारा 4,00,000 रुपये बतौर रिश्वत की मांग कर 2,80,000 रुपये लेने पर सहमत होना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 18.08.2026 को आरोपीगण श्री यसवंत सिंह उप पुलिस निरीक्षक नागरिक पुलिस, श्री पवन त्रिपाठी, श्री गौरव चारग, श्री सोहनलाल आरक्षीगण नागरिक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या उत्तरप्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से मिलीभगत कर क्रेटा गाडी के अन्दर बैठे-बैठे परिवादी दिनेश मीणा से 2,80,000 रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। उक्त आरोपीगण श्री यसवंत सिंह उप पुलिस निरीक्षक नागरिक पुलिस, श्री पवन त्रिपाठी, श्री गौरव चारग, श्री सोहनलाल आरक्षीगण नागरिक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या उत्तरप्रदेश का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपीगण श्री यसवंत सिंह उप पुलिस निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम अयोध्या उत्तरप्रदेश, श्री सोहनलाल कानि. नं. 162170782, श्री पवन कुमार त्रिपाठी कानि. नं. 152253646, श्री गौरव चारग कानि. नं. 192250681, पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या उत्तरप्रदेश के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसबी, जयपुर को प्रेषित है। (विजय कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर..... कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1-श्री यसवंत सिंह पुत्र श्री राम आशीष सिंह, जाति क्षेत्रिय, उम्र 28 वर्ष, निवासी मकान संख्या 3613, विज्ञान खण्ड, पुलिस थाना बीबीडी, पोस्ट गोमती नगर, जनपद/जिला लखनऊ, उत्तरप्रदेश हाल उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम अयोध्या, उत्तरप्रदेश, 2-श्री सोहनलाल पुत्र श्री धर्मराज, जाति थारू, उम्र-35 वर्ष, निवासी गांव भगवानपुर कोडर, पुलिस थाना पचपेडवा, जनपद/जिला बलरामपुरा उत्तरप्रदेश, हाल कानि. नं. 162170782 आरक्षी नागरिक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या, उत्तरप्रदेश, 3-श्री पवन कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री बृजकिशोर त्रिपाठी, जाति ब्राह्मण, उम्र- 32 वर्ष, निवासी ग्राम अंगरासी, पुलिस थाना तालगांव जनपद/जिला सीतापुर उत्तरप्रदेश, हाल कानि. नं. 152253646 आरक्षी नागरिक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या, उत्तरप्रदेश, 4-श्री गौरव चारग पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह चारग, जाति-जाट, उम्र-29 वर्ष, निवासी गांव गुडैरा, पुलिस थाना राया जनपद/जिला मथुरा उत्तरप्रदेश, हाल कानि. नं. 192250681 आरक्षी नागरिक पुलिस, पुलिस थाना साईबर क्राईम जनपथ अयोध्या, उत्तरप्रदेश के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र पूनियां, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 331 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1363-67 दिनांक 20.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर 2- पुलिस उप महानिरीक्षक, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, 4-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): NARENDRA KUMAR Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): POONIA (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1998				
2	Male	1991				
3	Male	1994				
4	Male	1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)